

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेर विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक – निपेंवि / पीसी / ई-कुबेर / 2020 / 1876 - 1885


दिनांक
28/12/2021

प्रबन्ध निदेशक / महा प्रबन्धक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक,
बैंक ऑफ बड़ौदा, यूकों बैंक, इंडियन बैंक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र

विषय :— राजस्थान सरकार के पेंशनर जो अन्य राज्यों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे पेंशनर्स को यथावत पेंशन के भुगतान के संबंध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स, जो अन्य राज्यों में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को अग्रिम ओदश तक पूर्ववत पेंशन का भुगतान बैंकों के माध्यम से ही किया जाना है। ऐसे पेंशनर्स के भुगतान के लिए दोनो राज्यों के महालेखाकार कार्यालयों द्वारा पेंशन के वितरण का लेखा—जोखा यथावत रखा जाना है।

भवदीय

(संजय सोलंकी) 28/12/2021
निदेशक

क्रमांक – निपेवि / पीसी / ई-कुबेर / 2020 / 1886 - 1888

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. महालेखाकार, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।


निदेशक